न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)
उपस्थित–प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–748/2026
भभुआ थाना काण्ड संख्या–426/2025
नंदलाल बिंद बनाम् राज्य सरकार
आदेश की तिथि–25.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 748/2026

भभुआ थाना काण्ड संख्या–426/2025

नंदलाल बिंद उर्फ नंदालाल बिंद, उम्र लगभग–46 वर्ष,
पिता– लालबरात बिंद
निवासी ग्राम–नरॉव, थाना–भभुआ, जिला–कैमूर।

–––––––––––––––––आवेदक

बनाम

बिहार सरकार –––––––––––––––––विपक्षी

आवेदक की ओर से :– श्री विजयमल श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता
सरकार की ओर से :- श्री शशिभूषण पाण्डेय, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
आदेश की तिथि : 25.05.2026

उपस्थिति : प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

1. अग्रिम जमानत आवेदन आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता की हाजिरी दी गयी है। पीड़िता न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन करती है कि उसे आवेदक को जमानत पर मुक्त करने से कोई आपत्ति नहीं है।
2. अपने अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजयमल श्रीवास्तव द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह आवेदन भभुआ थाना कांड–426/2025 धारा–64, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) भा0न्याय सं0 एवं धारा–04 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। ग्रामीण राजनीति के तहत आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा इसके पूर्व न तो कोइ नियमित जमानत आवेदन या न कोई अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन का वाद यह है कि कि दिनांक 29.12.2024 को रात्रि करीब 08:00 बजे सूचिका घर से बाहर शौच करने जा रही थी तभी अभय कुमार उसे पकड़कर जमीन पर पटन दिया और जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। चिल्लाने पर गाँव

के लोग दौड़े और अभय कुमार को पकड़ लिये फिर गाँव में पंचायत हुआ और अभय कुमार पर आर्थिक दंड लगाया गया जो नहीं दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पुनः निवेदन करते हैं कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है बल्कि पुलिस ने यह बताते हुए आवेदक के घर पर छापेमारी किया कि उसका नाम जांच में सामने आया है। आवेदक के उपर धारा–64, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) भा०न्याय सं० एवं धारा–04 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। पुलिस द्वारा आवेदक को अवैध रूप से परेशान किया जा रहा है। सह अभियुक्त अभय कुमार को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है एवं अन्य अभियुक्तगण निर्मला देवी, रामप्यारे बिंद, विनोद बिंद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। आवेदक की स्थिति बेहतर है। आवेदक एक स्थानीय व्यक्ति है और न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त करने की कृपा किया जाए।

3. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शशि भूषण पाण्डेय जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक के उपर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का सीधा आरोप है। अतः आवेदक अग्रिम जमानत आवेदन पर मुक्त होने का हकदार नही है।

4. उभयपक्ष को सुना। अग्रिम जमानत आवेदन के अभिलेख के साथ भभुआ थाना कांड संख्या–426/2025 का मूल अभिलेख संलग्न है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कांड दैनिकी दाखिल की गयी है। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद सूचिका/पीड़िता के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है। अपने आवेदन में पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि दिनांक 29.12.2024 को रात्रि करीब 08:00 बजे वह घर से बाहर शौच करने जा रही थी तभी अभय कुमार उसे पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर पटककर जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता–पिता एवं गाँव के लोग दौड़े और अभय कुमार को पकड़ लिये। अभय कुमार सबसे माफी माँगने लगा तथा कहने लगा कि फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। फिर गाँव के कुछ लोग समझा–बुझाकर अभय के उपर आर्थिक दंड लगाया गया जो कि उसके द्वारा नहीं दिया गया। पुनः दिनांक 20.05.2025 को रामप्यारे बिंद, निर्मला देवी और विनोद बिंद सूचिका को और उसके परिवार वालों को धमकी दिये। जान से मारने की नियत से विनोद बिंद कट्टा निकालकर दौड़ाने लगे। तब किसी तरह सभी लोग जान बचाकर थाना में आवेदन दिया। सूचिका सह पीड़िता आवेदक के

विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही पीड़िता की धारा–180 एवं 183 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान में किसी तरह के अपराध करने का आरोप, लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 74 एवं 76 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा–238(3)(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध सत्य पाया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा आवेदक को धारा–35(3) भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत प्रावधान का लाभ दिया गया है। अभियुक्त को धारा–238 भा0 न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला अनुसंधानकर्ता के द्वारा पाया गया है। अभिलेख पर उक्त घटना का भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। उक्त अपराध तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

5. अतः आवेदक **के उपर लगाये गए आरोप की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों एवं परिसिथितयों को ध्यान में रखते हुए आवेदक नंदलाल बिंद उर्फ नंदालाल बिंद का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** आदेश पारित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस के द्वारा गिरफतार करने की स्थिति में एवं आवेदक के द्वारा पंद्रह हजार रूपये का बंधपत्र के साथ समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर, आवेदक नंदलाल बिंद उर्फ नंदालाल बिंद को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिये गए प्रावधानों के आलोक में शपथपत्र दाखिल करें।

6. कार्यालय आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय में भेजें तथा इस अभिलेख को नियमानूसार अभिलखागार मे जमा करें। **(लेखापित एवं शुद्धिकृत)**

sd/-
(प्रमोद कुमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनिय,
कैमूर (भभुआ)।

Date of Judgment / Order	25.05.2026
Date of reserving judgment / order	NA
Uploading date	26.05.2026
Uploaded by	Neha Kumari (Steno)